न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 06 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. राणाराम पुत्र गोमाराम उम्र60 वर्ष
2. नेनाराम पुत्र गोमाराम उम्र57 वर्ष
3. आम्बाराम पुत्र गोमाराम उम्र55 वर्ष

जातियान सुथार निवासीयान गालाबेरी, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.देदाराम पुत्र गोमाराम उम्र 82 वर्ष
2.हेमराज पुत्र मुकनाराम उम्र78 वर्ष
3.चन्द्रप्रकाश पुत्र मुकनाराम उम्र72वर्ष
4.गोविन्दप्रसाद पुत्र मुकनाराम उम्र 65 वर्ष जातियान सुथार निवासीयान कुम्भावास, गालाबेरी, तहसील व जिला बाड़मेर
5.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42 / 2020 बअनवान देदाराम बनाम राणाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 16.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कुम्भावास पटवार हल्का शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 694 / 398 रकबा 59.15 बीघा किस्म बारानी दोयम व मौजा गालाबेरी पटवार हल्का शिवकर के खेत खसरा संख्या 367 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मु. टांका, खेत खसरा संख्या 368 रकबा 48.10 बीघा किस्म बारानी सोयम व खेत खसरा संख्या 370 रकबा 08.03 बीघा व किस्म बारानी दोयम की भूमि को उतरदाता संख्या 01 ने अपने हिस्से को खोलने व खुले हुए हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते हुए बाहमी बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षें की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 14.01.2021 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए पैतृक व पुश्तैनी भूमि पर अंतरिम स्थगन जारी कर विप्रार्थीगण / सहखातेदार को निर्माण नहीं करने से पाबंद कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत एकपक्षीय होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी की सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर उतारू है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि मे पूर्व में भरी नींव पर मकान निर्माण का कार्य कर रहा है जिसे नाजायज तरीके स स्थगन प्राप्त कर रेस्पोडेंट द्वारा रोका गया है जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में दिनांक 14.01.2021 को वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण पत्रावली पर आये हुए दस्तावेजी साक्ष्य, शपथपत्र आदि के आधार पर मामले में प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में है इसको तय किया जाना आवश्यक था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला तय किये बिना अपीलधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में किस प्रकार से नहीं है इसका कोई कारण दिये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी जो रेस्पोडेंटस के कब्जा काश्त की भूमि है उसमें मौके पर निर्माण करने पर उतारू है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल वाद का निस्तारण नहीं होता है तब तक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंटस के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलांदाजी की जाती है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2019 (2) Page 1433
RRT 2018(2) Page 1370
RRT 2018-19(Supp.) Page 531

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मनन न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस को सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मूल वाद को दिनांक 14.01.2021 को उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया गया। मौके पर विवाद का बिंदु कब्जे काश्त को लेकर है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल वाद के अन्तिम रूप से निस्तारण से पूर्व उभयपक्ष के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलांदाजी की जाती है तो न्यायोचित नहीं है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उक्तानुसार विधिक है। अतः इनका समर्थन किया जाना न्यायोचित है। आवेदन का अंतरिम रूप से निस्तारण निर्धारित विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर किया किया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42/2020 बअनवान देदाराम बनाम राणाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर को आदेशित किया जाता है कि मूल वाद में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.01.2021 की पालना में एक माह में तहसीलदार बाड़मेर से मौके से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर